



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1936

दिनांक-25.10.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी / अभियुक्तगण गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-24.10.2026 को वादी श्री दीपक वर्मा पुत्र स्व0 अवध बिहारी वर्मा निवासी हाल पता-निकट राशिद क्लीनिक कंधीटोला नाला माली खां सराय थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया कि दिनांक 23/10/2026 को समय करीब शाम के 04:00 बजे वादी का भाई अमन वर्मा जो कि अपने दरवाजे पर बैठा था तभी विपक्षी बबली पाण्डेय व उसके पति ऋषि साहू ने भाई के साथ मारपीट किया एवं गाली-गलौज किया व घर में घुसकर तोड़फोड़ किया व जान से मारने की धमकी दी। इसी घटना से आहत होकर प्रार्थी के भाई अमन वर्मा ने मानसिक रूप से आहत होकर दुपट्टे का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-699/2026 धारा- 108/ 333/ 351(3)/ 324(2)/ 352 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम-01- बबली पाण्डेय व ऋषि साहू के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं घटना में शामिल आरोपियों की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में कार्यवाही करते हुए मुखबिरी सूचना के आधार पर आज दिनांक 25.10.2026 को उक्त घटना में शामिल आरोपीगण 01-ऋषि साहू पुत्र रूप नारायण निवासी- सरदार नगर बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ हालपता- किराये का मकान, कंधीटोला निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र-37 वर्ष व 02-बबली पाण्डेय पत्नी ऋषि साहू नि0- किराये का मकान, कंधीटोला निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 27 वर्ष को तीन बंदर गली के सामने थाना क्षेत्र ठाकुरगंज से गिरफ्तार करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1. मु0अ0सं0-699/2026 धारा- 108/ 333/ 351(3)/ 324(2)/ 352 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- ऋषि साहू पुत्र रूप नारायण नि0-सरदार नगर बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ हालपता- किराये का मकान, कंधीटोला निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 37 वर्ष
- 2- बबली पाण्डेय पत्नी ऋषि साहू नि0- किराये का मकान, कंधीटोला निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र- 27 वर्ष।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना-ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 रितेश कुमार चौकी प्रभारी तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री शुभम सिंह चौकी प्रभारी गऊघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का0 प्रदीप कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
5. म0का0 रुचि सोनी थाना ठाकुरगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1935

दिनांक-25.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम जोन-पश्चिमी की सफलता।
- थाना नाका पुलिस टीम की बड़ी उपलब्धि-- ऑनलाइन फ्रॉड में पीड़ित के 4,80,000/- रुपये कराए वापस
- साइबर हेल्प डेस्क टीम की त्वरित कार्यवाही एव तकनीकी विश्लेषण से फ्रॉड की धनराशि को किया गया सफलतापूर्वक ट्रेस
- पीड़ित ने लखनऊ पुलिस व थाना नाका की पुलिस का जाताया आभार ।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशानुसार, पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एव अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग के निर्देशन में एव थानाध्यक्ष नाका हिंडोला श्री विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में थाना नाका की साइबर टीम द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 25/01/2026 को पीड़ित श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी न्यू तिलक नगर लखनऊ ने बताया कि मेरे खाते से 4,80,000/- रुपये का फ्रॉड कर लिया है उक्त प्रकरण में थाना नाका के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार सैनी द्वारा तत्परता दिखाते हुए साइबर क्राइम पोर्टल (National Cyber Crime Portal) पर पीड़ित की शिकायत दर्ज करायी तथा सम्पूर्ण धनराशि होल्ड करायी गयी।

थाना नाका के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी द्वारा तकनीकी सूझबूझ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के विश्लेषण के आधार पर उक्त धनराशि को ट्रेस कर पीड़ित की सम्पूर्ण धनराशि को वापस कराया। अपनी सम्पूर्ण धनराशि वापस प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता के द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए थाना नाका हिंडोला की साइबर टीम एवं लखनऊ पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया।

02-साइबर फ्रॉड की धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 सतेन्द्र कुमार सैनी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
- साइबर सेल पश्चिमी जोन लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1933

दिनांक-25.10.2026

जोन-उत्तरी / थाना- मलिहाबाद

- थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली चलाने की घटना में नामित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- 01 अदद डबल बैरल गन (लाइसेंसी), 14 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर एक अदद चारपहिया वाहन बरामद।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2026 को थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फरीदीपुर स्थित रेलवे क्रासिंग सरावां के निकट आरामशीन पर किरायेदारी के विवाद को लेकर राजकुमार यादव उर्फ राजू के ऊपर गोली चलाकर घायल कर देने की घटना के सम्बन्ध में वादी मुकदमा बिंदकुमार पुत्र नत्थालाल निवासी ग्राम काजीखेड़ा मजरा सेंधरवा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मलिहाबाद पर मु०अ०सं० 204/2026 धारा 109(1)/191(1)/191(2)/191(3)/351(2) बीएनएस बनाम बिलाल खां पुत्र मो० राफे खां, मो० राफे खां पुत्र नबील खां, व 4-5 अज्ञात साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ०नि० संजय कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही है।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा घायल राजकुमार यादव का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल से एक अदद डबल बैरल गन नम्बर 106612, 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर तथा सेन्ट्रो कार संख्या UP-32-LR-2607 की पिछली सीट से 14 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से संकलित धातु एवं शीशे के टुकड़ों को भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया।

विवेचना के दौरान नामित अभियुक्त मो० राफे खां पुत्र स्व० नबील खां, के विरुद्ध प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्तता पाए जाने पर दिनांक 25.10.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त मुकदमे में धारा 61(2) बीएनएस तथा धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है।

अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य नामित अभियुक्त की तलाश एवं शेष विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त मो० राफे खां ने पूछताछ में बताया कि आरा मशीन की भूमि को लेकर राजकुमार यादव उर्फ राजू से किरायेदारी का विवाद चल रहा था। दिनांक 24.10.2026 को वह अपने बेटे बिलाल खां के साथ आरा मशीन पर बातचीत करने गया था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर उसने अपने बेटे बिलाल से गोली मारने के लिए कहा, जिस पर बिलाल ने उसकी लाइसेंसी डबल बैरल बन्दूक से फायर कर दिया। अभियुक्त द्वारा अपनी लाइसेंसी डबल बैरल गन का नम्बर 106612 बताया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 204/2026 धारा 109(1)/191(1)/191(2)/191(3)/351(2) बीएनएस, वृद्धि धारा 61(2) बीएनएस व धारा 27/30 आर्म्स एक्ट, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 राफे खां पुत्र स्व0 नबील खां, उम्र करीब 68 वर्ष, निवासी म0न0 58 बाबू बनारसीदास नगर, नियर सामुदायिक केन्द्र, पुराना किला, लखनऊ

05-बरामदगी-

- एक अदद डबल बैरल गन, नम्बर 106612
- 14 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- एक अदद सेन्ट्रो कार संख्या UP-32-LR-2607
- घटनास्थल से प्राप्त धातु एवं शीशे के टुकड़े, फील्ड यूनिट द्वारा संकलित

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार गुप्ता, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 मुकेश कुमार यादव, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 रवि यादव, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1931

दिनांक-25.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

➤ थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तरी, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण में थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 167/2026 धारा 103(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय मिश्रा उर्फ गुड्डन पुत्र स्व0 त्रियुगी नारायन मिश्रा निवासी ग्राम शुक्लनपुरवा, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 53 वर्ष को दिनांक 25.10.2026 को समय करीब 10:15 बजे उसके घर ग्राम शुक्लनपुरवा से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.10.2026 को वादिनी श्रीमती गरिमा मिश्रा पत्नी दिव्यांशु मिश्रा उर्फ शुभम निवासी प्रीतीनगर डुडौली, थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ द्वारा थाना महिगवां पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 19.10.2026 को ग्राम शुक्लनपुरवा में वादिनी के पति दिव्यांशु मिश्रा उर्फ शुभम के सगे चाचा अजय मिश्रा उर्फ गुड्डन द्वारा गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार तबली से उनके सिर पर हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना महिगवां पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर ग्राम शुक्लनपुरवा में मौजूद है। इस सूचना पर थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अजय मिश्रा उर्फ गुड्डन द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.10.2026 को उसका भतीजा दिव्यांशु मिश्रा उर्फ शुभम उसके घर आया था। जमीन बेचने की बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद एवं गाली-गलौज होने लगी। इसी विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने घर के अन्दर रखी कुल्हाड़ी से दिव्यांशु मिश्रा के सिर पर दो बार वार करना बताया गया, जिससे दिव्यांशु मिश्रा की मृत्यु हो गई।

03- अपराध का तरीका-

प्रारम्भिक विवेचना एवं अभियुक्त से पूछताछ में प्रकाश में आया कि जमीन बेचने की बात को लेकर चाचा-भतीजे के मध्य विवाद हुआ था। इसी विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा कथित रूप से घर में रखी कुल्हाड़ी से अपने भतीजे के सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय मिश्रा उर्फ गुड्डन पुत्र स्व0 त्रियुगी नारायन मिश्रा, निवासी ग्राम शुक्लनपुरवा, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 53 वर्ष। (व्यवसाय- खेती व मजदूरी)

05- पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 103(1), 352 बीएनएस थाना महिगवां कमि0 लखनऊ।

06- आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 040/2022 धारा 302 भादवि थाना इंटौजा कमि0 लखनऊ।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपद शाखा/थाना से जानकारी की जा रही है।

07- बरामदगी-

➤ एक अदद धारदार तबली ।

08- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राधेश्याम मौर्य, थानाध्यक्ष, थाना महिगवां, लखनऊ।(टीम प्रभारी)
2. उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना महिगवां, लखनऊ ।
3. का0 अनुराग सिंह तोमर थाना महिगवां, लखनऊ ।
4. म0का0 अनीता देवी थाना महिगवां, लखनऊ ।
5. का0 बनारसी थाना महिगवां, लखनऊ ।(चालक)

नोट :- गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1937

दिनांक- 25.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-काकोरी

- थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद टूटा हुआ सीमेन्टेड पतरा (टीन) का टुकड़ा आलाचोट बरामद किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.10.2026 को वादी श्री जमुना प्रसाद पुत्र स्व० झमई निवासी घनश्यामपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ द्वारा बावत अभि०गण द्वारा वादी की पत्नी पर जान से मारने की नियत से हमला कर देना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना काकोरी पर मु०अ०सं० 334/2026 धारा 109/118(1)/333/352 बीएनएस बनाम 1.ब्रजेश 2.मनीष पुत्रगण स्व०सुद्धू नि०गण घनश्यामपुर थाना काकोरी लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना की गम्भीरता को देखते हुए 02 पुलिस टीमों का गठन कर तत्काल घटना में संलिप्त अभि०गण की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमें में वांछित अभियुक्त ब्रजेश यादव पुत्र स्व० सुद्धू निवासी घनश्यामपुर थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को दक्षिण टोला घनश्यामपुर स्थित उसके घर से दिनांक 24.10.2026 को ही समय करीब 23.42 बजे गिरफ्तारी का कारण व आधार से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद टूटा हुआ सीमेन्टेड पतरा (टीन) का टुकड़ा आलाचोट को बरामद किया गया तथा वादी मुकदमा से द्वारा भी अभियुक्त की शिनाख्त करायी गयी।

अभियुक्तगण को नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में शेष आरोपी के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ब्रजेश यादव पुत्र स्व० सुद्धू निवासी घनश्यामपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

03-बरामदगी:-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद टूटा हुआ सीमेन्टेड पतरा (टीन) का टुकड़ा आलाचोट

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री शैलेश प्रताप सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ०नि० श्री सुरजीत कुशवाहा थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
3. कां० धीरज यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1930

दिनांक-25.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा

➤ थाना इटौंजा पुलिस द्वारा गोवध के उद्देश्य से ले जाए जा रहे 08 गाय व 01 बछिया सहित डीसीएम चालक गिरफ्तार

➤ पंजाब से बिहार ले जाए जा रहे 09 गोवंश बरामद, परिवहन में प्रयुक्त डीसीएम वाहन जब्त।।

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.10.2026 को थाना इटौंजा पुलिस को डायल112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक डीसीएम संख्या PB02DF4284 में गोवंश लादकर शाहजहाँपुर की ओर से लखनऊ की तरफ ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर थाना इटौंजा पुलिस ने हर्षा इंस्टीट्यूट के सामने सीतापुर लखनऊ मार्ग पर चेकिंग के दौरान उक्त डीसीएम को रोककर जांच करने पर उसमें 08 गाय एवं 01 बछिया जीवित अवस्था में बरामद हुई। गोवंश के पैर बंधे हुए थे तथा उन्हें वाहन में अत्यंत क्रूरतापूर्वक ठूसकर लादा गया था। वाहन चालक गोवंश के परिवहन से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 150/2026, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 24.10.2026 को थाना इटौंजा पुलिस द्वारा हर्षा इंस्टीट्यूट के सामने सीतापुर-लखनऊ मार्ग पर चेकिंग के दौरान डीसीएम संख्या PB02DF4284 को रोककर चेक किया गया, जिसमें 08 गाय व 01 बछिया जीवित अवस्था में क्रूरतापूर्वक पैर बांधकर ठूसकर लदी हुई पाई गई। वाहन चालक रविन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम शंकरकला, थाना खडूर साहिब, जनपद तरनतारन, पंजाब, गोवंश परिवहन से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में चालक रविन्द्र सिंह ने बताया कि गोवंश को समराला रोड, खन्ना (लुधियाना) से लोड कराया गया था तथा उन्हें गोवध के उद्देश्य से बक्सर मंडी, बिहार ले जाया जा रहा था।

इस संबंध में थाना इटौंजा पर मु0अ0सं0 150/2026, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 डीसीएम, 08 गाय, 01 बछिया, 01 मोबाइल फोन व ₹3,200/- नकद बरामद किए गए।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम शंकरकला, थाना खडूर साहिब, जनपद तरनतारन, पंजाब से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त गोवंश को समराला रोड, खन्ना (लुधियाना) से संदीप सिंह पुत्र बग्गा सिंह निवासी हरियो खुर्द, थाना व तहसील समराला, जनपद लुधियाना द्वारा डीसीएम में लोड कराया गया था, जिसे वह गोवध के उद्देश्य से बक्सर मंडी, बिहार ले जा रहा था। अभियुक्त द्वारा इससे पूर्व भी 3-4 बार गोवंश को बक्सर (बिहार) ले जाना बताया है।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 150/2026, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रविन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम शंकरकला, थाना खडूर साहिब, जनपद तरनतारन, पंजाब। (व्यवसाय – ड्राइवर)।

06- बरामदगी का विवरण –

- 01 अदद डीसीएम वाहन संख्या PB02DF4284।
- 08 गाय जीवित।
- 01 बछिया जीवित।
- 01 अदद पोको कंपनी का आसमानी रंग का एंड्रॉयड मोबाइल फोन।
- ₹3,200/- नकद।
- 01 अदद डीसीएम वाहन संख्या PB02DF4284

07-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊ:-

1. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार भारती, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 राजदेव यादव, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ।
3. का0 अभिषेक कुमार, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ।
4. का0 चिराग त्यागी, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ।
5. का0 शोभित चौधरी, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1934

दिनांक- 25.10.2026

जोन- मध्य / कोतवाली- हजरतगंज

- रेलवे गुड्स गोदाम, वाइन गोदाम, औषधि भण्डारण गोदाम व एफसीआई के गोदामों / वेयर हाउस के निर्माण की स्वीकृति दिलाने के नाम धोखाधड़ी करके पैसे लेकर फरार 02 शांतिर अभियुक्तगण गिरफ्तार।
- पैसा वापस मांगने पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का जाली/कूटरचित प्रमाण पत्र दिया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.07.2026 को वादी मुकदमा श्री विनोद सिंह निवासी पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ तहरीर प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वर्ष 2026 में प्रतिवादीगण 01. शशांक पाण्डेय 02. सोनिया पाण्डेय पत्नी शशांक सिंह द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम में रेलवे गुड्स गोदाम, वाइन गोदाम, औषधि भण्डारण गोदाम व एफसीआई के गोदामों / वेयरहाउस के निर्माण की स्वीकृति दिलाने के नाम पर पैसा लिया गया है पैसा वापस मांगने पर टाल मटोल किया गया तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम का जाली/कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया।

जिस पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 147/2026 धारा 318(4)/336(2) बीएनएस बनाम शशांक पाण्डेय व सोनिया पाण्डेय उपरोक्त पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ०नि० इरफान अमहद द्वारा की जा रही है।

02- कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन करते हुए अभियोग में धारा 336(2) को 336(3) में तरमीम किया गया तथा धारा 338/340(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु कई बार उनके निवास स्थान पर दबिश दी गयी परन्तु अभियुक्तगण दस्तयाब नहीं हुई अभियुक्तगण पुलिस से लगातार अपना छिपाव बनाये हुए थे।

आज दिनांक 25.10.2026 को पुनः 94, साकेत पल्ली, नरही, थाना हजरतगंज के पते पर दबिश दी गयी तो अभियुक्तगण 1. शशांक पाण्डेय 2. सोनी पाण्डेय उर्फ सोनिया पत्नी शशांक पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03- माइयूस आपरेंडी -

अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा से केन्द्रीय भण्डारण निगम में रेलवे गुड्स गोदाम, वाइन गोदाम, औषधि भण्डारण गोदाम स्वीकृति के नाम पर धोखाधड़ी पैसे लिये गये तथा वापस मांगने पर टाल मटोल किया गया तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम का जाली/कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में भी जनपद सुल्तानपुर में भी जमीन बेचने का लालच देकर धोखाधड़ी की गयी है।

04- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शशांक पाण्डेय पुत्र श्रवण कुमार पाण्डेय निवासी 94, साकेत पल्ली, नरही थाना हजरतगंज लखनऊ मूल पता- म0नं0 1794 चोपड़ा गली खैराबाद थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 37 वर्ष
2. सोनी पाण्डेय उर्फ सोनिया पत्नी शशांक पाण्डेय निवासी 94, साकेत पल्ली, नरही थाना हजरतगंज लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष

05-आपराधिक इतिहास-

(शशांक पाण्डेय)

- I. मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ
- II. मु0अ0सं0- 475/26 धारा 318(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर
- III. मु0अ0सं0- 543/26 धारा 420/406 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर

(सोनी उर्फ सोनिया पाण्डेय)

- I. मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ
- II. मु0अ0सं0 543/26 धारा 420/406 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर

06- अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 इरफान अहमद थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 विशाल पाण्डेय, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 शिवम पाण्डेय , थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- म0उ0नि0 निशा सिंह थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 आदर्श कुमार सिंह, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 विकास यादव, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 सारूप खान, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- म0उ0नि0 लक्ष्मीपाल , थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- का04760 एजाज अहमद, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1932

दिनांक-25.10.2026

जोन- दक्षिणी / थाना-बन्थरा

- थाना बन्थरा पुलिस द्वारा पीडिता /अपहता की बरामदगी करते हुए, पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोपी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01.कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो० मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसन्त कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बन्थरा श्री राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अपहता की बरामदगी करते हुए नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.09.2026 को वादी मुकदमा निवासी थाना बन्थरा लखनऊ ने थाना बन्थरा पर तहरीर दि कि मेरी नातिन उम्र करीब 15 वर्ष को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। वादी की तहरीरी सूचना पर थाना बन्थरा पर मु०अ०स० 0292/2026 धारा 87/137(2) BNS पंजीकृत किया गया।

अपहता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल व मैन्युअल साक्ष्यों व सूचना तंत्र के आधार पर नाबालिग अपहता को बरामद करते हुए अभियुक्त मनीष महतो को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मनीष महतो पुत्र अमरनाथ महतो निवासी ब्लॉक ए निकट काली माता मंदिर पहलाद विहार किशन कॉलोनी पहलादपुर बांगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली मूल निवासी ग्राम बिचौली थाना महुआ जिला समस्तीपुर बिहार उम्र 25 वर्ष ।

04- अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 292/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार / संरक्षण में करने वाली पुलिस टीम-

- थाना बन्थरा पुलिस व सर्विलांस दक्षिणी जोन कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम